

12/6/24 पागवली पैरा हुई। उमयपक व
अधिवक्ता उमयपक अनुपस्थित।
रुक-रुक का तीन चार बार
आदालत समय के काबज लग गई।
उसके पश्चात भी उमयपक के
उक्त अधिवक्ता अनुपस्थित नहीं।
अतः प्रकरण अदालत अदालत पेशवा
के स्फटिज किया जाता है। पागवली पैरा ल
कुमार हजिर मकर से कम है

श्री. मिल. कलक्टर
पावताभरत (गोडगाव)

